कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय] भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/HEADQUARTER
पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002
Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067
Email: estt6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फ़ा. सं. डी-12/16/1/2012-स्था.-6, खंड-2 दिनांक : 24 जनवरी, 2022

सेवा में,

अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक,
क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय
राजेन्द्र प्लेस,
दिल्ली ।

विषय :	**क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना-2006 के कार्यान्वयन से संबंधित परिशोधित दिशानिर्देश - नामिकागत अस्पताल के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा बिलों के निपटान के संबंध में स्पष्टीकरण।**
संदर्भ :	**आपके कार्यालय के पत्र संख्या 11-ए/40/11/2/2021-प्रशा. 1, दिनांक 24/11/2021**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे आपके कार्यालय के संदर्भाधीन पत्र दिनांक 24/11/2021 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है । इस संबंध में मामले में निम्नलिखित कारण बताया गया है: -

1. निगम ने अपनी 184वीं बैठक में क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना-2006 के कार्यान्वयन से संबंधित परिशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया था । परिशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय निदेशक नोडल अधिकारी हैं जो अपने क्षेत्र के सदस्य-पेंशनभोगियों के लिए पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उसमें परिकल्पित सभी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
2. इसके अतिरिक्त, महानिदेशक ने क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना-2006 के नियम (9) में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए 19 अगस्त, 2021 के ज्ञापन के माध्यम से जारी आदेश द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली को दिल्ली क्षेत्र के साथ-साथ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पेंशनभोगियों के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
3. आपके उक्त पत्र दिनांक 24/11/2021 में यह सुझाव दिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली केवल टाई-अप व्यवस्था करेगा लेकिन दिल्ली/एनसीआर की 18 लेखा इकाइयों के सभी टाई-अप चिकित्सा बिलों को संसाधित नहीं करेगा। इस तरह का विचलन इस तथ्य के आलोक में मान्य नहीं है कि परिशोधित दिशानिदेश क.रा.बी.निगम द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
4. इस संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 11/08/2021(प्रतिलिपि संलग्न) के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली उक्त परिशोधित दिशानिदेशों के पैरा बी (4) के अनुसार सभी टाई-अप चिकित्सा बिलों को संसाधित करेगा। जबकि पेंशनभोगी द्वारा अपनी इच्छानुसार से आकस्मिक/सामान्य परिस्थिति में उपचार के दावों का निपटान पेंशनभोगी की उस लेखा इकाई में किया जाएगा जहां से वह परिशोधित दिशानिर्देशों के पैरा बी(2) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार पेंशन प्राप्त करता/करती है।

5. क्षेत्रीय कार्यालय में जनशक्ति यदि कम/अपर्याप्त हो तो मुख्यालय के उपयुक्त प्राधिकारी के पास इस मुद्दे को उठाया जा सकता है।
6. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पहले पेंशनभोगी चिकित्सा योजना को निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली द्वारा संचालित किया जाता था | अत: निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली में सदस्य-पेंशनभोगियों के उपलब्ध रिकॉर्ड पर भरोसा किया जाए क्योंकि यह माना जाता है कि सभी पेंशनभोगी जो क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के सदस्य हैं, परिशोधित दिशानिदेश जारी करने से पहले, उन्हें वैध चिकित्सा कार्ड जारी किए हैं जो उनकी पात्रता को दर्शाते हैं।
7. पूर्ववर्ती के आलोक में पुन: अनुरोध है कि इस कार्यालय के आदेशों को बिना समय गंवाए लागू किया जाए क्योंकि अब तक 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अस्पतालों का टाई-अप भी नहीं किया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी पेंशनभोगियों के टाई-अप चिकित्सा बिलों को भी स्वीकार / संसाधित नहीं कर रहा है जो क.रा.बी.निगम द्वारा पारित पूर्वोक्त परिशोधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है | इससे सदस्य-पेंशनभोगियों और उनके संघ / परिसंघ के बीच असंतोष पैदा हो रहा है और वे इस संबंध में अभ्यावेदन दे रहे हैं ।

8. यह भी अनुरोध है कि इस मामले में की गई कार्रवाई से 7 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराएं।

इसे महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
उप निदेशक

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
सत्यमेव जयते
मुख्यालय/HEADQUARTER
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002
Phone: 011-23234092, VOIP: 10011067
Email: estt6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

F. No.:D-12/16/1/2012-E-VI.Vol.II **Dated: 24th January, 2022**

To,

The Addl. Commissioner & Regional Director,
ESIC Regional Office,
Rajendra Place,
Delhi.

Subject :	**Revised guidelines relating to implementation of ESIC Pensioner Medical Scheme-2006- Clarification with regard to settlement of bills and appointment of the Nodal Officers by R.O. Delhi in respect of empanelled hospital.**
Reference:	**Yours office letter No.11-A/40/11/2/2021-Admn.I dated 24/11/2021.**

Sir,

I am directed to make a reference of your office letter dated 24/11/2021 under reference on the subject cited above. In this regard the following attributable in the matter is stated below:-

1. Revised Guidelines relating to implementation of ESIC Pensioner Medical Scheme, 2006 was approved by the Corporation in its 184th Meeting. As per the revised guidelines, Regional Director is the Nodal Officer and responsible for carrying out all necessary activities envisaged therein for effective implementation of the Pensioner Medical Scheme for the member pensioners of their region.

2. Further, Regional Director, Delhi has been appointed NODAL OFFICER w.r.t. pensioners of Delhi NCR also alongwith pensioners of Delhi Region by Director General exercising the power vested to him in Rule (9) of ESIC PMS, 2006 by Order issued vide Memo. dated 19th August, 2021.

3. In your ibid letter dated 24/11/2021, it has been suggested that Regional Office Delhi shall make tie-up arrangements only but shall not process all the tie-up medical bills of 18 Accounting Units of Delhi/ NCR. Such deviation is not tenable in the face of the facts that Revised Guidelines are approved by ESI Corporation.

4. In this regard, take the reference of this office letter of even no. dated 11/08/20211 (copy enclosed) in which it has been clarified that R.O. Delhi shall process all the tie-up medical bills as per Para B (4) of the said revised guidelines. Whereas settlement of claims for treatment under emergent/normal condition by own volition by the pensioner shall be processed at the Accounting Unit from where he/she receives pension as per provision laid in Para B (2) of the Revised Guidelines.

5. The shortage/inadequate manpower at Regional Office, if any, may be augmented by taking up the issue with appropriate authority at Hqrs. Office.

6. It is pertinent to mention here that earlier the Pensioner Medical Scheme is centrally catered by D(M)D Office. Therefore, the records of member-pensioners available at D(M)D Office may be relied upon as it is understood that all the pensioners who are members of ESIC PMS prior to issuance of Revised Guidelines are having been issued valid Medical Cards showing their entitlements.

7. In the light of foregoing, it is once again requested to implement the orders of this office without further loss of time as 7 months have since been passed but not even tie-up empanelment of hospitals has been done, but also Regional Office is not accepting/processing the tie-up medical bills of all the pensioners of DELHI NCR which is in violation of the ibid Revised Guidelines passed by the ESI Corporation and instilling the dis-satisfaction among member-pensioners and their Association/Federation and they are coming up with Representations in this regard.

8. It is also requested to apprise this office the action taken in the matter within 7 days.

This issues with the approval of Director General.

भवदीय,

(पंकज कुमार)
उप निदेशक

Copy to:

Website Content Manager for uploading on the website.